



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122021-232036
CG-DL-E-21122021-232036

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4914]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2021/अग्रहायण 29, 1943

No. 4914]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2021/AGRAHAYANA 29, 1943

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

अधिसूचना

बिलासपुर, 10 अक्टूबर, 2021

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 A के अंतर्गत अधिसूचना

का.आ. 5305(अ).—रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 A की उपधारा (1) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (89 का 24) केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना अर्थात् धरमजयगढ़ से कोरबा नई लाइन परियोजना (62 किमी) रायगढ़ जिला के, छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन, पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा; ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानि अतिरिक्त कलेक्टर रायगढ़ को जिलाधीश कार्यालय, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा; उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्य ब्योरे उपलब्ध है हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में रेल लाईन—विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, धरमजयगढ़ से कोरबा (62 किमी) (रायगढ़ जिला) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-

जिला का नाम:- रायगढ़

जिला का नाम:- रायगढ़

तहसील का नाम:- धरमजयगढ़

तहसील का नाम:- धरमजयगढ़

क.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा	क.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा
1	बायसी कॉलोनी	367/1	0.243		बायसी कॉलोनी	375	0.948
		367/2	0.235			388/1	0.668
		368/2	0.178			389/2	0.223
		368/1	0.324			389/1	0.040
		374/2	0.202			392	0.575
		374/3	0.388			368/3	0.081
		374/1	0.247				

कुल भूमि – 4.352 हे०

[फा. सं. सी.ए.ओ./सि/बी.एस.पी/धरमजयगढ़-कोरबा]

आर. एन. सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण द.पू.म. रेल्वे, बिलासपुर

MINISTRY OF RAILWAYS

(S.E.C.R.)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 10th October, 2021

Notification under Section 20 A of the Railways Act 1989

S.O. 5305(E).—In exercise of Powers conferred by sub section (1) of section 20A of the Railways Act 1989 (24 of 89) (hereinafter referred as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for execution of Special Railway project, namely Dharamjaigarh to Korba (62 Km) in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land; Any person interested in the said land may, within a period of 30 days for the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section 20D of the said act; Every objection shall be made to the competent Authority, namely, Additional Collector, Raigarh, Collectorate office, Raigarh, Chhattisgarh in writing, and shall set out ground thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections; Any order made by the Competent Authority under sub-section(2) of section 20D of the said Act shall be final; The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE							
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway project, namely, Dharamjaigarh to Korba (Phase-II) New Rail Line Project (62 Km) (for Raigarh District) in the State of Chhattisgarh.							
Name of District : Raigarh				Name of District : Raigarh			
Name of Tahsil : Dharamjaigarh				Name of Tahsil : Dharamjaigarh			
No.	Name of Village	Khasra No.	Area (in Hect.)	No.	Name of Village	Khasra No.	Area (in Hect.)
1	Baysi Colony	367/1	0.243	1	Baysi Colony	375	0.948
		367/2	0.235			388/1	0.668
		368/2	0.178			389/2	0.223
		368/1	0.324			389/1	0.040
		374/2	0.202			392	0.575
		374/3	0.388			368/3	0.081
		374/1	0.247				

Total Land:- 4.352 Hectare

[F. No. CAO/C/BSP/ DHARAMJAIGARH-KORBA]

R. N. SUNKAR, Chief Administrative Officer, Con.